

**भारत सरकार**  
**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं. 2043**  
**11 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए**

**एसबीएम - यू 2.0 के अंतर्गत अपशिष्ट संग्रहण और स्रोत पृथक्करण**

**†2043. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:**

**क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

- (क) स्वच्छ भारत मिशन शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के अंतर्गत घर-घर कचरा संग्रहण और स्रोत पृथक्करण का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने की प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) राज्य-वार कुल कितने पुराने कचरे का उपचार किया गया है (मिलियन टन में) और डंप स्थलों पर अभी भी कचरे की कितनी मात्रा मौजूद है;
- (ग) वर्तमान में कितने अपशिष्ट-से-ऊर्जा और जैव-मीथेनीकरण संयंत्र चालू हैं और कितने निर्माणाधीन हैं;
- (घ) असंगठित रूप से कचरा बीनने वाले (सफाई मित्र) पारिस्थितिकी तंत्र को औपचारिक बनाने और उन्हें औपचारिक कचरा प्रबंधन शृंखला में एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (ङ) शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे और ई-कचरे के लिए व्यापक उत्पादक उत्तरदायित्व लागू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**  
**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**  
**(श्री तोखन साहू)**

(क) और (ख): भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) शुरू किया था, जिसका उद्देश्य देश के शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाना और देश के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न नगर निगम ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का वैज्ञानिक प्रसंस्करण करना था। की गई प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, एसबीएम-यू 2.0 को 1 अक्टूबर, 2021 को पांच वर्ष के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक लैंडफिल में सुरक्षित

तरीके से कचरे का निपटान और सभी पुराने डंपसाइट को ठीक करने के साथ-साथ सभी शहरों में 100% स्रोत पृथक्करण, घर-घर जाकर कचरा संग्रहण और कचरे के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन द्वारा कचरा मुक्त दर्जा प्राप्त करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में मल कीचड़ और सेप्टेज के समग्र निपटान के लिए प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) भी एसबीएम-यू 2.0 के तहत एक नया घटक है। स्वच्छतम पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कुल 97,684 वार्डों में से 94,405 अर्थात् 96.64% वार्डों में घर-घर जाकर 100% संग्रहण किया जा रहा है और कुल 97,684 वार्डों में से 86,043 अर्थात् 88.08% वार्डों में स्रोत पृथक्करण किया जा रहा है।

25.04 करोड़ मीट्रिक टन (एमटी) कचरे वाली कुल 2478 डंपसाइटों (1000 टन से अधिक कचरे वाली साइटों) को निपटान करने के लिए चिह्नित किया गया है। अब तक, 1096 डंपसाइटों का पूरी तरह से निपटान किया जा चुका है और 986 साइटों पर कार्य चल रहा है। कुल 15.20 करोड़ मीट्रिक टन (61%) कचरे का निपटान किया जा चुका है और 7903.47 एकड़ (52%) भूमि की पुनःप्राप्ति की जा चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के तहत देश के शहरी क्षेत्रों में पुरानी डंपसाइट का निपटान और भूमि को पुनःप्राप्त करने की राज्य-वार सूचना वेबसाइट <https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progess> पर उपलब्ध है।

ग) एसबीएम-यू 2.0 के तहत, कचरे से ऊर्जा संयंत्र/बायो-मीथेनेशन संयंत्र सहित सभी तरह की अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना लगाने के लिए केंद्रीय सहायता दी जाती है। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 4462 टीपीडी के कचरे से बिजली संयंत्र और 8701.50 टीपीडी के बायो-मीथेनेशन संयंत्र लगाने के लिए कार्य योजना प्राप्त हो चुकी है और 698.29 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता के साथ 2318 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत अनुमोदित की जा चुकी है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, अभी 16 अपशिष्ट से बिजली संयंत्र (18,900 टीपीडी) में कार्य चालू है और 6 संयंत्र (5,550 टीपीडी) निर्माणाधीन हैं।

बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्स धन (गोबरधन) के तहत 500 नए “वेस्ट टू वेल्थ” संयंत्र लगाए जाने हैं। इसके अनुसार, गोबरधन योजना के तहत 20,155 टीपीडी की कुल संचयी क्षमता वाले 145 कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जिनमें एसबीएम-यू 2.0 के तहत 53 संयंत्र,

तेल और गैस विनिर्माण कंपनियों द्वारा शुरू किए गए 65 संयंत्र और राज्य द्वारा वित्तपोषित 27 संयंत्र शामिल हैं। वर्तमान में 1,910 टीपीडी की डिज़ाइन क्षमता वाले 17 बायो-मीथेनेशन संयंत्र चालू हैं।

घ) एसबीएम-यू ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) जैसे अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ तालमेल के माध्यम से स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) का सशक्तिकरण करने के लिए पारिस्थिकी तंत्र बनाने पर जोर दिया है। विशेषतौर पर, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), अनौपचारिक क्षेत्र के कचरा बीनने वालों और स्वच्छता कर्मियों के पास इस कार्यक्रम से जुड़कर अपशिष्ट प्रबंधक और अपशिष्ट उद्यमी बनकर नए कार्य प्राप्ति की संभावनाएं हैं।

इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) के माध्यम से अपनी स्वच्छता उद्यमी योजना के तहत सफाई-मित्रों और स्वच्छता कर्मियों को सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए उपकरण और वाहन खरीदने के लिए लोन देता है (व्यक्ति के लिए 15 लाख रुपये और स्वयं सहायता समूह के लिए 50 लाख रुपये) ताकि सैनी-प्रेन्योर तैयार किए जा सकें। एनएसकेएफडीसी की हरित व्यवसाय योजना के तहत बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (ई-रिक्शा), कम्प्रेसड एयर व्हीकल, सोलर एनर्जी गैजेट्स और पॉली हाउस खरीदने के लिए रियायती ऋण भी दिए जाते हैं।

ड.) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पांच तरह के कचरे जैसे प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-वेस्ट, बैटरी वेस्ट, वेस्ट टायर और प्रयुक्त तेल के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के विनियमन अधिसूचित किए हैं, ताकि कचरे का पर्यावरण के हिसाब से सही प्रबंधन किया जा सके और चक्रीय अर्थव्यवस्था को चालू किया जा सके।

ईपीआर विनियमनों में कचरे के पुनःचर्कण के लिए अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और विभिन्न प्रकार के कचरों के आधार पर पुनःचक्रित सामग्री के पुनःउपयोग और उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित किया है। प्लास्टिक पैकेजिंग पर ईपीआर दिशा-निर्देशों के अनुसार, कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग का फिर से उपयोग करने के लिए अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ई-वेस्ट, बैटरी

वेस्ट और टायर वेस्ट पर ईपीआर विनियमन आगे उपयोग किए जाने के लिए इन उत्पादों को इसी सामग्री से दोबारा बनाए जाने को भी बढ़ावा देते हैं। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व विनियमन का कार्यान्वयन करने से अपशिष्ट प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर और रीसायकलिंग उद्योग का और विकास होगा, बिखरे हुए और अप्रबंधित कचरे से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी और पुनःचक्रण के माध्यम से कीमती सामग्री की पुनःप्राप्ति होगी। इस तरह, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और संसाधन संरक्षण होगा।

\*\*\*\*\*